संख्या-5/2019/172/60-2-19-2/3(2)08टीसी

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 17 जनवरी, 2019

विषय :03 वर्ष से 06 वर्ष आयु तक के बच्चों हेतु आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत हाट कुक्ड फूड योजना को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1912/बा0वि0परि0/योजना-177-।।/2018 -19, दिनांक 10.01.2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम (आई0सी0डी0एस0) केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इस योजना में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलायें एवं 11 से 14 वर्ष तक स्कूल न जाने वाली किशोरियां लक्षित वर्ग में हैं। इन लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप अनुपूरक पोषाहार मार्निंग स्नैक्स के रूप में दिया जा रहा है। हाट कुक्ड योजना में आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित होने वाले 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को दोपहर में पका पकाया भोजन दिया जाना है।

2. भारत सरकार द्वारा 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार प्रदान किये जाने हेतु रू0 8.00 प्रति लाभार्थी प्रति दिन अनुमन्य है। इस धनराशि में से रू0 3.50 प्रति लाभार्थी मार्निंग स्नैक्स पर तथा शेष रू0 4.50 हाट कुक्ड फूड पर व्यय किया जाना है। मार्निंग स्नैक में 200 ग्राम कैलोरी एवं 07 ग्राम प्रोटीन है। हाट कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 300 कैलोरी व 7 से 8 ग्राम प्रोटीन दिया जाना है।

3. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1184/60-2-18-2/3(2)/08टीसी, दिनांक 01 जून, 2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त शासनादेश दिनांक 01.06.2018, के क्रम में प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हाट कुक्ड फूड योजना सुचारू रूप से लागू किए जाने हेतु निम्नवत् व्यवस्था लागू की जा रही हैः -

4. 54 जनपदों हेतु व्यवस्था :-

4.1 54 जनपदों (मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, आजमगढ़, बलिया, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सुल्तानपुर, अमेठी, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बस्ती, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर एवं मुजफ्फरनगर)के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों हेतु हाट कुक्ड फूड उसी प्राथमिक विद्यालय की रसोई में बनाया जायेगा तथा अन्य आंगनबाड़ी केन्द्र, जो प्राथमिक विद्यालय से अन्यत्र संचालित हैं, उन्हें निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा। इन जनपदों के शहरी क्षेत्रों में भी स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध करके मध्यान्ह भोजन योजना के साथ ही इन केन्द्रों का भोजन तैयार कराकर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित कराया जाएगा।

4.2 इनके लिए हाट कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत व्यय हेतु निर्धारित धनराशि रू0 4.50 का मदवार विभाजन निम्नवत् है :-

क्रम सं0	मद	निर्धारित धनराशि रू0 में
1	भोजन पकाने की सामग्री (दाल, सब्जी, तेल मसाले, दूध व फल आदि)	2.25
2	रसोईया का पारिश्रमिक	*1.00 अथवा 0.75
3	आंगनबाड़ी सहायिका का पारिश्रमिक	*0.50 अथवा 0.75
4	खाद्यान्न (गेहूं, चावल का क्रय व परिवहन व्यय सहित)	0.25
5	ईधन (गैस) बर्तन, परिवहन**	0.50

4.3. पूर्व शासनादेश संख्या-1184/60-2-18-2/3(2)/08टीसी, दिनांक 01 जून, 2018 में निम्नवत् संशोधन किया गया है :-

4.3.1 जहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय में स्थित नहीं हैं, वहां पर गरम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में किस आंगनबाड़ी केन्द्र का खाना किस विद्यालय में पकाया जायेगा, इसका निर्धारण जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निदेशालय परिपत्र संख्या-सी-1071/बा0वि0परि0/योजना/2018-19, दिनांक 03.08.2018 के द्वारा विस्तृत दिशा -निर्देश जारी किये गये हैं।

4.3.2 * मानदेय -

हाट कुक्ड फूड तैयार करने हेतु रसोइया व आंगनबाड़ी सहायिका को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि जब एक प्राथमिक विद्यालय में स्थित 01 आंगनबाड़ी केन्द्र का भोजन तैयार किया जाता है, तो रसोइया को रू0 1.00 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन व आंगनबाड़ी सहायिका को रू0 0.50 प्रतिदिन प्रति लाभार्थी की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। एक प्राथमिक विद्यालय में भोजन तैयार करने हेतु केन्द्रों की संख्या 02 अथवा उससे अधिक होने पर रसोइया एवं आंगनबाड़ी सहायिका को रू0 0.75-0.75 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। प्राथमिक विद्यालय में तैयार भोजन को आंगनबाड़ी केन्द्र तक ले जाने का कार्य सहायिका

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

का होगा। इस हेतु टिफिन आदि की व्यवस्था राष्ट्रीय पोषण मिशन मद में आवंटित धनराशि से की जायेगी।

4.3.3 ** ईधन -

शासनादेश संख्या-1184/60-2-18-2/3(2)/08टीसी, दिनांक 01 जून, 2018 में प्राविधान है कि ईंधन के व्यय के लिए रू0 0.50 प्रति लाभार्थी (मार्निंग स्नैक व हॉट कुक्ड फूड) प्रतिदिन की दर से स्थानीय स्तर पर प्रतिपूर्ति की जाय, जिससे कि मिड-डे-मील योजना पर अतिरिक्त व्ययभार न आये।

उल्लेखनीय है कि हाट कुक्ड फूड योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी गरमा- गरम भोजन मिड-डे-मील के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी भोजन के सापेक्ष कम मात्रा में दिया जाता है। इस प्रकार मिड-डे-मील के सापेक्ष ईंधन हेतु आईसीडीएस हाट कुक्ड फूड में प्रति लाभार्थी कम धनराशि दिया जाना चाहिए। अतः वर्तमान में व्यवहारिकता के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि आईसीडीएस हाट कुक्ड फूड के अन्तर्गत रू0 0.50 प्रति लाभार्थी में ईधन के अतिरिक्त बर्तन (पकाने एवं खाने के उपयोग हेतु) एवं ट्रान्सपोर्ट हेतु भी व्यय किया जायेगा।

4.4 हाट कुक्ड फूड योजना के संचालन हेतु ''आई0सी0डी0एस0 केन्द्र-हाट कुक्ड फूड निधि' के तहत ग्राम प्रधान/सभासद व आंगनबाड़ी कार्यकत्री के संयुक्त खाते खोले जाने हैं।

5. शेष 21 जनपदों हेतु व्यवस्था -

5.1 मध्यान्ह भोजन योजना की कार्ययोजना 2018-19 के अनुसार 21 जनपदों (आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, मऊ, इलाहाबाद, कानपुर नगर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, सम्भल, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, बागपत, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, सहारनपुर एवं शामली) के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा मिड-डे-मील की आपूर्ति की जा रही है।

5.2 **इन 21 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24,710 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के माध्यम से हाट कुक्ड फूड योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।**

5.3 इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों की माताओं का स्वयं सहायता समूह का गठन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में कराया जायेगा। हर स्वयं सहायता समूह की 02-03 महिलाओं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रतिदिन गरम खाना तैयार कर लाभार्थियों में वितरित किया जायेगा।

(क) इन स्वयं सहायता समूहों को भारतीय खाद्य निगम/एस0एम0आई0 गोदाम के माध्यम से बी0पी0एल0 दर पर खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) हाट कुक्ड फूड हेतु धनराशि रू0 4.50 में से रू0 0.25 खाद्यान्न के क्रय एवं परिवहन हेतु उपयोग किया जायेगा।

(ग) शेष धनराशि रू0 4.25 आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं अध्यक्ष, स्वयं सहायता समूह के नाम से **''आई0सी0डी0एस0 केन्द्र-हाट कुक्ड फूड निधि'** का संयुक्त खाता खुलवाकर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्तांरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(घ) उक्त रू0 4.25 में से भोजन पकाने हेतु प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को रू0 1.50 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन दिये जाने हेतु स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।

(च) शेष धनराशि रू0 2.75 में से भोजन तैयार करने हेतु सहायक सामग्री यथा-सब्जी, मसाले, तेल, मिर्चा, धनिया, दाल आदि के क्रय पर रू0 2.25 एवं ईधन/गैस की व्यवस्था हेतु रू0 0.50 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से दिया जायेगा।

5.4 <u>आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गैस, चूल्हा, सिलेंडर, पकाने व खाने के बर्तनो की व्यवस्था</u>

5.4.1 अम्ब्रेला आईसीडीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त 21 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 24,710 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों के लिए हाट कुक्ड फूड तैयार करने हेतु उपयोग में आने वाले बर्तन, गैस, चूल्हा व सिलेण्डर इत्यादि के क्रय पर होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	हाट कुक्ड फूड के उपयोगार्थ बर्तन इत्यादि का विवरण	मात्रा	अनुमानित दर प्रति यूनिट (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1	कुकर, भगौना (5 लीटर), तवा, चम्मच इत्यादि	1	1500.00	1500.00
2	गैस चूल्हा	1	990.00	990.00
3	रेगुलेटर, पाइप	1	250.00	250.00
4	गैस सिलेण्डर	1	1450.00	1450.00
5	गैस (प्रथम बार)	1	1072.00	1072.00
6	खाने की प्लेट	30	25.00	750.00
	योग			6012.00

इस प्रकार 24710 आंगनबाड़ी केन्द्ररों पर प्रतिकेन्द्र रू0 6012.00 की दर से कुल धनराशि रू0 1485.56 लाख (रू0 चौदह करोड़ पचासी लाख छप्पन हजार मात्र) का व्ययभार सम्भावित है, जिसका वहन शबरी संकल्प अभियान से किया जायेगा।

5.4.2 शबरी संकल्प योजना- शबरी संकल्प योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य अति-कुपोषित बच्चों को पोषित करना है। इस हेतु राज्य पोषण मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रू0 26200.00 लाख की व्यवस्था की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका के अनुसार शबरी संकल्प पोषण योजना के अन्तर्गत 06 माह से 03 वर्ष आयु के अति-कुपोषित बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार के लिए अतिरिक्त पोषाहार दिये जाने हेतु ग्रुप बनाकर कैश ट्रांसफर किये जाने की व्यवस्था की गयी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 52400.00 लाख का बजट प्राविधान है। यह प्राविधान राज्य पोषण मिशन योजना के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत है। 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद से हाट कुक्ड योजना में आवश्यक बर्तन इत्यादि क्रय किया जायेगा।

5.4.3 स्वयं सहायता समूहों के द्वारा भोजन पकाने हेतु आवश्यक सामग्री (बर्तन, गैस, चूल्हा व सिलेन्डर इत्यादि) का क्रय शबरी संकल्प अभियान में आवंटित धनराशि से किया जायेगा। आवंटित धनराशि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अध्यक्ष, स्वयं सहायता समूह के नाम से खुले ''आई0सी0डी0एस0 केन्द्र हाट कुक्ड फूड निधि' ' खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

6. अनुश्रवण -

योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं व चावल) तथा लाभार्थियों को पके भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जायेगी :-

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) की मात्रा का अंकन आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध स्टाक पंजिका में किया जायेगा, जिसका सत्यापन ग्राम प्रधान/सदस्य, सभासद/मातृ समिति की अध्यक्ष/सदस्य में से किन्ही 02 के द्वारा किया जायेगा।

(2) निदेशालय स्तर से नामित नोडल अधिकारियों के द्वारा हर माह में जनपदों के निरीक्षण किए जायेंगें। निरीक्षण के समय उनके द्वारा हाट कुक्ड फूड लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने का भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा योजना की गहन समीक्षा कर अपनी आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(3) अन्तर्जनपदीय निरीक्षण के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ ही निकटवर्ती जनपद में हाट कुक्ड फूड योजना के संचालन का भौतिक सत्यापन आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

(4) जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी,बाल विकास परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य सेविका द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करते समय हाट कुक्ड फूड योजना के संचालन का विशेष रूप से भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

(5) प्राथमिक विद्यालय के रसोइये तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा गरम भोजन तैयार करते समय उसकी स्वच्छता एवं पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखा जायेगा तथा पूरी सुरक्षा एवं सफाई के साथ लाभार्थियों में वितरित किया जायेगा। भोजन वितरण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य, मातृ समिति की अध्यक्षा/सदस्य, स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा/सदस्य में से किन्ही 02 की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2019/172(1)/60-2-19-2/3(2)08टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त, खाद्य एव रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।